प्रेस नोट जालौन पुलिस

दिनांक –03.01.2025

जनपद जालौन पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के उल्लंघन करने वाले 03 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं एक शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

1. वासुदेव पांचाल पुत्र देशपति नि0 ग्राम कुसमिलिया थाना डकोर जनपद जालौन द्वारा अपनी लाइसेन्सी रायफल के साथ अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी व ससुरालीजनो से वाद-विवाद करना तथा अपने शस्त्र रायफल का प्रदर्शन कर अपनी पत्नी व ससुरालीजनो को धमकाना इस सम्बन्ध मे वासुदेव पांचाल उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी थी तथा शस्त्र निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट जालौन को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा लोकशान्ति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये वासुदेव पांचाल उपरोक्त के शस्त्र रायफल संख्या एबी01-6297 आफ 315 बोर के लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

2. अजीत सिंह पुत्र अमोल सिंह नि0 ग्राम दादनपुर थाना गोहन जनपद जालौन के आपराधिक प्रवत्ति के व्यक्ति होने व शस्त्र का दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना के कारण जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा लोकशान्ति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये इनके शस्त्र एन.पी.बी. रिवाल्वर संख्या आर-5893 आफ 32 बोर के लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

3. हुकुम सिंह पुत्र शिव सिंह यादव नि0 ग्राम बन्धौली थाना डकोर जनपद जालौन द्वारा दिनांक 12.08.2024 को शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुये घूमता रहा तथा अपनी लाइसेन्सी रायफल से एक राउन्ड हवाई फायर की गयी तथा एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गयी थी इस सम्बन्ध में थाना डकोर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा शस्त्र के दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट जालौन को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा लोकशान्ति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये हुकुम सिंह उपरोक्त के शस्त्र रायफल संख्या एबी99-5419 आफ 315 बोर के लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

4. दिनांक 25.08.2024 को थाना कैलिया पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर जाहर सिंह पुत्र रामकेश नि0 ग्राम किशुनपुरा थाना कैलिया को मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स से शराब तस्करी करते हुये गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना कैलिया पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा 207 एमवी अधिनियम के तहत गाडी को सीज किया गया था। उक्त बरामदशुदा वाहन एचएफ डीलक्स सं0 UP-92 Z-3049 से शराब का अवैध रूप से परिवहन किये जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा जब्त किये जाने का आदेश निर्गत किये गये है।